

फर्द अहकाम

बनाम

आह  
वाह

नाम न्यायालय

केस संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	23/1/24	<p>पंजावली पेश हुई। वरील पत्रकारण उपर                      प्रतिवादी वरील उरा इरेजात आपत्ति का                      पत्राख. पेश नहीं करने पर इरेजात पत्रकारण                      वरील श्री सुनी व आपत्ति इरेजात व सहायक                      इवि अधिकारी का पत्र संलग्न 1 दिनांक                      8/1/24 का परीक्षण किया गया तो धारापत्र                      पत्र वासी जाट नि. नौबुन उरा ख. न.                      21/6 में फर्म पौंड का निर्माण किया गया है                      जित पर इपक ने सखिडी मीजाफ्त श्री है।                      पत्राख वदतीखदार उरा ख. न. 21/6 का                      वजातका इरेजात अनुसार इ इपक-2 दिया                      गया है। पत्राख सहायक इवि अधिकारी से                      फतानुसार एवं संलग्न नो. श्री रिपोर्ट अनुसार                      ख. न. 21/6 में अनेले जायशण पुर धाती                      में इखर ने उरा फर्म पौंड का निर्माण करने                      पर सखिडी दी गई है जितमें इत फर्म पौंड में                      पानी मश हुका है सभी पत्तों मजान बने हुए                      हैं। इस कारण ख. न. 21/6 का वजातका नहीं                      किया जा सका। वदतीखदार ने नो. श्री रिपोर्ट                      के विपरीत पाकर वजातका पत्राख वजातका                      है जो नियमों के विरुद्ध है वदतका सुक्ति में                      पुस्ता निर्माण देने के कारण वजातका निर्माण                      उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में                      दावा वादी खारिज किया गया है। पत्राखली</p>
	24/1/24	<p>पंजावली पेश हुई। वरील पत्रकारण उपर                      प्रतिवादी वरील उरा इरेजात आपत्ति का                      पत्राख. पेश नहीं करने पर इरेजात पत्रकारण                      वरील श्री सुनी व आपत्ति इरेजात व सहायक                      इवि अधिकारी का पत्र संलग्न 1 दिनांक                      8/1/24 का परीक्षण किया गया तो धारापत्र                      पत्र वासी जाट नि. नौबुन उरा ख. न.                      21/6 में फर्म पौंड का निर्माण किया गया है                      जित पर इपक ने सखिडी मीजाफ्त श्री है।                      पत्राख वदतीखदार उरा ख. न. 21/6 का                      वजातका इरेजात अनुसार इ इपक-2 दिया                      गया है। पत्राख सहायक इवि अधिकारी से                      फतानुसार एवं संलग्न नो. श्री रिपोर्ट अनुसार                      ख. न. 21/6 में अनेले जायशण पुर धाती                      में इखर ने उरा फर्म पौंड का निर्माण करने                      पर सखिडी दी गई है जितमें इत फर्म पौंड में                      पानी मश हुका है सभी पत्तों मजान बने हुए                      हैं। इस कारण ख. न. 21/6 का वजातका नहीं                      किया जा सका। वदतीखदार ने नो. श्री रिपोर्ट                      के विपरीत पाकर वजातका पत्राख वजातका                      है जो नियमों के विरुद्ध है वदतका सुक्ति में                      पुस्ता निर्माण देने के कारण वजातका निर्माण                      उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में                      दावा वादी खारिज किया गया है। पत्राखली</p>

उपखंड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)